अध्याय-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले पाँच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। **परिशिष्ट 1.2 भाग क** में सरकारी लेखों के ढांचे तथा प्रकार को स्पष्ट किया गया है तथा **परिशिष्ट 1.2 भाग ख** में वित्त लेखों के ले-आउट को दर्शाया गया है।

परिशिष्ट 1.3 में राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली दी गई है।

1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य में सभी सरकारी मान्यता प्राप्त अन्तिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. 2018-19 में ₹7,79,652 करोड़ (वर्तमान मूल्य पर) था। वर्तमान मूल्य पर इसका स.रा.घ.उ. पिछले दशक में अखिल भारत के औसत स.घ.उ. वृद्धि (11.75 *प्रतिशत*) की तुलना में उच्च दर (12.41 *प्रतिशत*) पर बढ़ा है। पिछले दशक में अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (10.35 *प्रतिशत*) की तुलना में रा.रा.क्षे. का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (10.30 *प्रतिशत*) आंशिक रूप से घटा हुआ था। **(परिशिष्ट 1.1)**

वर्तमान एवं अचल मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली की तुलना में भारत के स.घ.उ./स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
दिल्ली का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
अचल मूल्य (आधार वर्ष 2011-12)					
भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,05,27,674	1,13,69,493	1,22,98,327	1,31,79,857	1,40,77,586
स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	7.41	8.00	8.17	7.17	6.81
राज्य की स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,28,355	4,75,622	5,11,504	5,54,908	6,02,708
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	9.02	11.03	7.54	8.49	8.61

स्रोतः आर्थिक तथा सांख्यिकी विश्लेषण निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा सां और का का.म वेबसाइट

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि दर वर्तमान तथा अचल दोनों मूल्य पर भारत के स.घ.उ. (वर्ष 2016-17 के लिए अचल मूल्य छोडकर) से अधिक थी।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लेखे मुख्यतः दो भागों में होते हैं (क) समेकित निधि (ख) आकस्मिक निधि। रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए लोक लेखे अलग नहीं होते। लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण एवं उचंत आदि) को संघ सरकार के लोक लेखों में समाविष्ट किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अंत शेषों को समाविष्ट किया जाता है जो संघ सरकार के सामान्य रोकड़ के नकद शेष का अंश कहलाता है तथा सरकार के पास जमा के तौर पर समझा जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयता में लघु बचत संग्रहण बड़ी मात्रा में समाविष्ट होता है।

केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों की परिधि में दिल्ली नहीं आती है तथा उसे केवल संघीय कर तथा शुल्क के राज्य अंश के स्थान पर विवेकाधीन अनुदानों की प्राप्ति होती है।

तालिका 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2018-19) के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करता हैं। **परिशिष्ट 1.4** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			**संवितरण**		
	2017-18	**2018-19**		**2017-18**	**2018-19**
खण्ड-क राजस्व	**कुल**	**कुल**	**खण्ड-अ राजस्व**	**कुल**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियां	**38,667**	**43,113**	**राजस्व व्यय**	**33,754**	**36,852**
कर राजस्व	35,717	36,625	सामान्य सेवाएँ	7,196	7,605
गैर-कर राजस्व	766	644	सामाजिक सेवाएँ	19,602	21,663
			आर्थिक सेवाएँ	5,862	5,219
भारत सरकार से अनुदान	2,184	5,844	सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,094	2,365
खण्ड-ख पूँजीगत			**खण्ड-ब पूँजीगत**		
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	-	पूँजीगत व्यय	3,243	3,266
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	691	1,644	संवितरित ऋण व अग्रिम	2,248	2,402
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां*	1,906	2,880	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान*	1,682	3,636
आकस्मिक निधि	2	95	आकस्मिक निधि से विनियोजन	2	95
आरंभिक नकद शेष#	2,645	2,982	अंतिम नकद शेष#	2,982	4,463
कुल	**43,911**	**50,714**		**43,911**	**50,714**

* इसमें अधिकांशतः भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम लघु बचत के अंश के रूप में शामिल हैं।

भारत सरकार के सामान्य रोकड़ शेष के साथ समाविष्ट अंतिम शेष

1.1.2 बजट आकलन तथा वास्तविकताएँ

बजट दस्तावेज एक विशेष राजकोषीय वर्ष के लिए राजस्व तथा व्यय के आकलनों को बताते है। राजस्व तथा व्यय के आकलन को जितना सम्भव हो सही बनाना चाहिए जिससे सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्नताओं को विश्लेषित किया जा सके। कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलन तथा वास्तविकताओं को **चार्ट 1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1 : चयनित राजकोषीय पैरामीटरः वास्तविकताओं की तुलना में बजट अनुमान

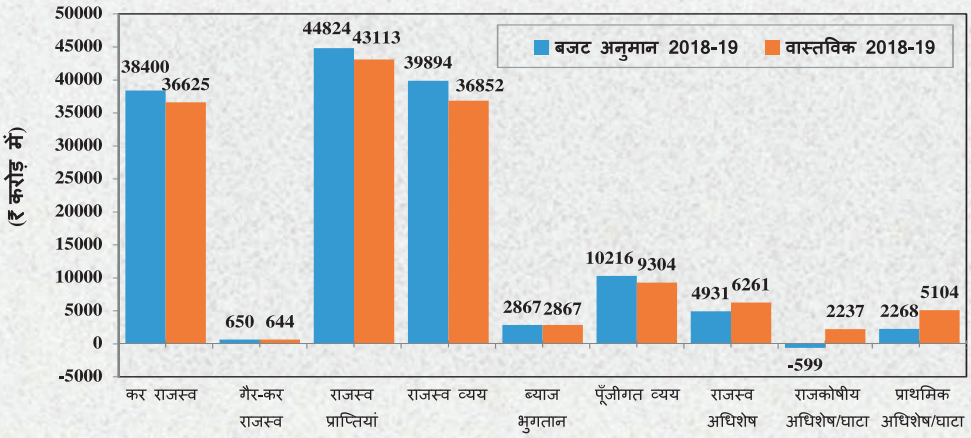

- ₹44,824 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹43,113 करोड़ (96 *प्रतिशत*) की थी।

- ₹38,400 करोड़ (95 *प्रतिशत*) की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति कर प्राप्तियों के अधीन वसूली ₹36,625 करोड़ थी।
- ₹650 करोड़ की प्रत्याशित प्राप्ति के प्रति गैर-कर प्राप्ति ₹644 करोड़ (99 *प्रतिशत*) थी।
- ₹39,894 करोड़ के बजट प्रावधान की अपेक्षा वास्तविक राजस्व व्यय ₹3,042 करोड़ (8*प्रतिशत*) तक कम था।
- पूँजीगत व्यय ₹9,304 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमान ₹10,216 करोड़ के प्रति कम था।
- ₹599 करोड़ के प्रत्याशित राजकोषीय घाटे के प्रति सरकार ₹2,237 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष अर्जित करने में कामयाब रही।

राजस्व प्राप्तियों के साथ साथ राजस्व व्यय बजटीय लक्ष्यांकों से मामूली कम थे। राजस्व आधिक्य आकलनों से अधिक था।

1.1.3 उत्प्लावकता अनुपात

उत्प्लावकता अनुपात मूल परीवर्ती में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय परीवर्ती की प्रतिक्रियात्मकता की लोच अथवा मात्रा को दर्शाता है। राजस्व प्राप्तियों, अपने कर राजस्व, कुल व्यय तथा राजकोषीय देयताओं के उत्प्लावकता अनुपात को नीचे **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. की तुलना में प्राप्तियों, व्यय तथा राजकोषीय देयताओं का उत्प्लावकता अनुपात

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)					
वर्ष के दौरान रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	5.73	18.30	-1.87	12.58	11.5
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा. की उत्प्लावकता	0.50	1.62	-0.16	1.04	0.89
रा.रा.क्षे. दिल्ली का स्वयं का कर-राजस्व (ओ.टी.आर.)					
वर्ष के दौरान ओ.टी.आर. (₹ करोड़ में)	26,604	30,226	31,140	35,717	36,625
ओ.टी.आर. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	2.64	13.61	3.02	14.70	2.54
स.रा.घ.उ. सहित ओ.टी.आर. की उत्प्लावकता	0.23	1.2	0.26	1.21	0.2
कुल व्यय (कु. व्य.)					
वर्ष के दौरान कु. व्य. (₹ करोड़ में)	29,593	33,750	35,609	39,244	42,520
कु. व्य. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	-9.57	14.05	5.51	10.21	8.35
स.रा.घ.उ. सहित कु. व्य. की उत्प्लावकता	-0.84	1.24	0.47	0.84	0.64
राजकोषीय देयता* (रा.दे.)					
वर्ष की समाप्ति पर रा.दे. (₹ करोड़ में)	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
रा.दे. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत में*)	1.30	2.48	0.12	0.67	-2.26
स.रा.घ.उ. सहित रा.दे. की उत्प्लावकता	0.11	0.22	0.01	0.06	-0.17

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

* लघु बचत संग्रहण की अधिक मात्रा रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में शामिल है।

स.रा.घ.उ. की तुलना में पैरामीटर की उत्प्लावकता यदि कम है तो इसका अर्थ है कि पैरामीटर में संबंधित परिवर्तन राज्य की आय में ऐसे परिवर्तन से कम थे। यह देखा जा सकता है कि स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.प्रा., अ.क.रा. तथा कु.व्य. की उत्प्लावकता 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान एक से कम थी।

1.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली के संसाधन

राजस्व तथा पूँजी प्राप्तियों की दो धारा हैं जो सरकार के संसाधनों को बनाती है। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान से बनती हैं। पूँजीगत प्राप्तियां विविध पूँजीगत प्राप्तियों जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण तथा अग्रिम की वसूली और ऋण प्राप्तियों (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) से बनती हैं। **चार्ट 1.2** कुल प्राप्तियों संसाधनों के घटकों को दर्शाता है। **चार्ट 1.3** 2014-19 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: वर्ष 2018-19 के संसाधनों के घटक तथा उप-घटक

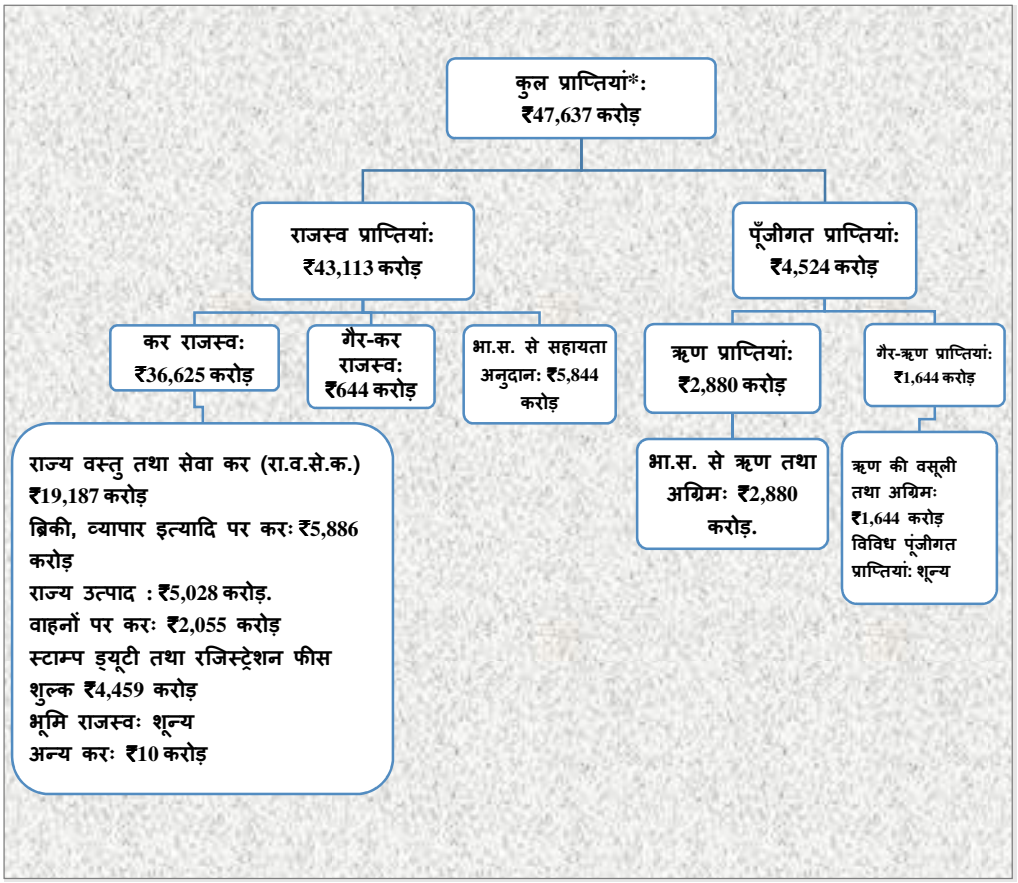

*प्रारम्भिक शेष को छोड़कर

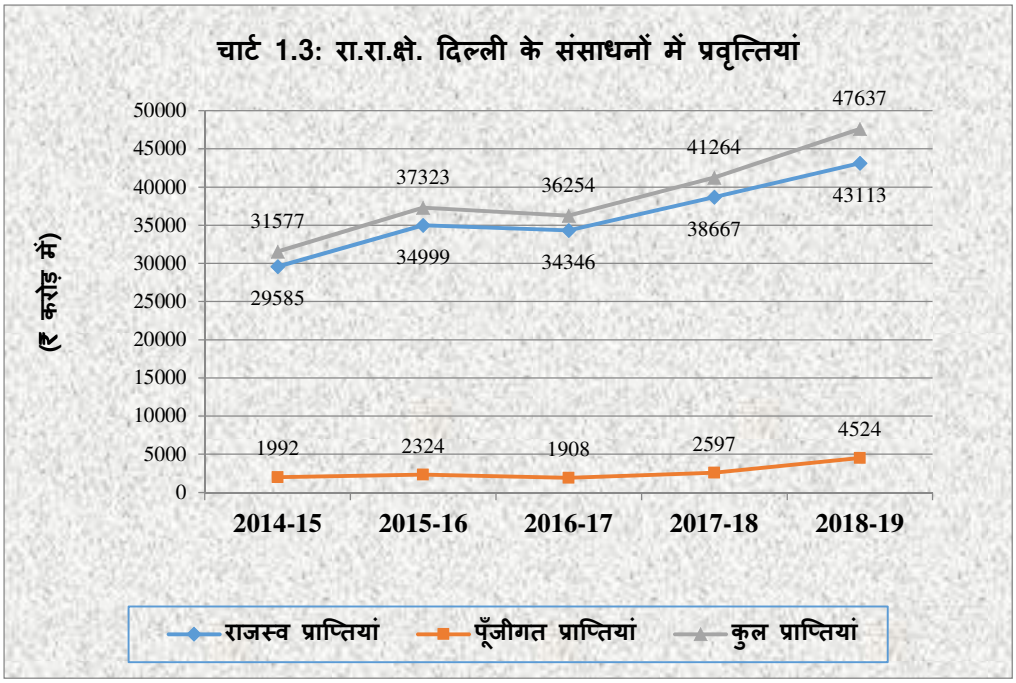

2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की कुल प्राप्तियां ₹16,060 करोड़ (51 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई। राजस्व प्राप्तियां ₹13,528 करोड़ (46 *प्रतिशत*) तक बढ़ गई, पूँजीगत प्राप्तियां, जिसमें ऋण तथा अग्रिमों की वसूली तथा ऋण प्राप्तियों की वसूली (भा.स. से ऋण तथा अग्रिम) शामिल थी, 2014-19 के दौरान मुख्य रूप से ऋण तथा अग्रिमों की वसूली में ₹1,416 करोड़ (610 *प्रतिशत*) की वृद्धि के कारण ₹2,532 करोड़ (127 *प्रतिशत*) बढ़ गया।

2018-19 में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां 90.50 *प्रतिशत* तथा पूंजीगत प्राप्तियों के घटक 9.50 *प्रतिशत* था।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर तथा गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान से बनती है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.4** तथा **परिशिष्ट 1.4** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियां 2014-15 में ₹29,585 करोड़ से, 9.8 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़कर 2018-19 में ₹43,113 करोड़ हो गई; जिसमें से रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने कर राजस्व और सहायता अनुदान में उक्त अवधि के दौरान क्रमशः ₹10,021 करोड़ (37.67 *प्रतिशत*) और ₹3,496 करोड़ (148.89 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

तालिका 1.4: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	5.73	18.3	-1.87	12.58	11.50
रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	26,604	30,226	31,140	35,717	36,625
स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	2.64	13.61	3.02	14.70	2.54
सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)	2,348	4,258	2,825	2,184	5,844
सहायता अनुदान की वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	67.35	81.35	-33.65	-22.69	167.58

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 11.50 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। यह मुख्यत: ₹3,660 करोड़ (167.58 *प्रतिशत*) के सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण था, जो कि जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन ₹4,182 करोड़ के राजस्व घाटे के बदले मुआवजे की प्राप्ति थी।

2014-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संघटक **चार्ट 1.4** में दर्शाये गये हैं।

चार्ट 1.4: 2014-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संघटक

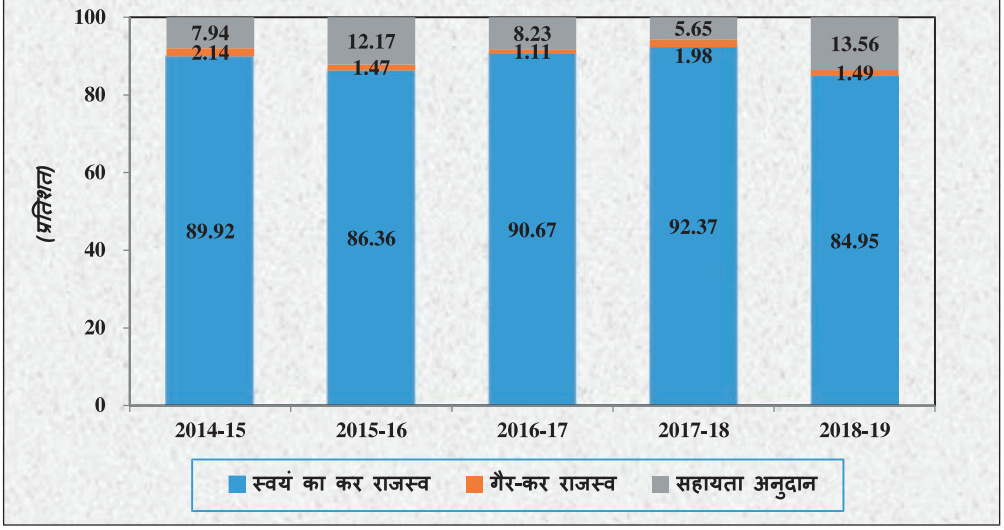

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने कर राजस्व का अंश 2014-15 में 89.92 *प्रतिशत* से 2016-17 में 90.67 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा फिर 2018-19 में 84.95 *प्रतिशत* तक घट गया। सकल राजस्व प्राप्तियों के अंश में गैर-कर राजस्व 2014-15 में 2.14 *प्रतिशत* से 2018-19 में 1.49 *प्रतिशत* तक घट गया। सहायता अनुदान का अंश 2014-15 में 7.94 *प्रतिशत* से 2018-19 में 13.56 *प्रतिशत* तक बढ़ गया।

1.3.1. रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के संसाधन

संसाधनों के जुटाने में रा.रा.क्षे. दिल्ली का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं के कर एवं गैर-कर शामिल है, से होता है।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल वसूली **तालिका 1.5** में दी गई है जो 2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं के कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है।

तालिका 1.5: रा.रा.क्षे. दिल्ली के स्वयं संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	**18,289(2)**	**20,246(11)**	**21,144(4)**	**11,149**	**5,886(-47)**
एस.जी.एस.टी.	**-**	**-**	**-**	**13,621***	**19,187(41)**
राज्य उत्पाद	**3,422(9)**	**4,238(24)**	**4,251(0.3)**	**4,453(5)**	**5,028(13)**
वाहनों पर कर	**1,559(11)**	**1,607(3)**	**1,809(13)**	**2,116(17)**	**2,055(-3)**
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क	**2,780(-6)**	**3,433(23)**	**3,144(-8)**	**4,117(31)**	**4,459(8)**
भूमि राजस्व	**62**	**1**	**2**	**2**	**-**
माल तथा यात्रियों पर कर	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
अन्य कर[1]	**492(6)**	**701(42)**	**790(13)**	**259(-67)**	**10(-96)**
कुल	**26,604(3)**	**30,226(14)**	**31,140(3)**	**35,717(15)**	**36,625(3)**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लघु कोष्ठकों में दर्शाई गई पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि

एस.जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 से प्रभावी, इसलिए आंकड़े नौ माह के अर्थात 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक के हैं।

वस्तु एवं सेवा कर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम कार्यान्वित किया जोकि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी था। जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017, के अनुसार पाँच साल की अवधि तक जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को मुआवजा देगी। राज्य को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की संगणना भारत के नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित किए गए, अन्तिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। जी.एस.टी. अधिनियम के अधीन आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व आंकड़ों को अन्तिम रूप दिया गया था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹16,784 करोड़ था। राज्य में किसी वर्ष के लिए प्रक्षेपित राजस्व की संगणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व की तुलना में लागू प्रक्षेपित वृद्धि दर (14 *प्रतिशत* वार्षिक) द्वारा की जानी है।

[1] अन्य करों में अचल संपत्ति कृषि भूमि के अतिरिक्त पर कर, बिजली पर कर एवं शुल्क शामिल है।

वर्ष 2018-19 के लिए प्रक्षेपित राजस्व आधार वर्ष के अनुसार ₹24,866 करोड़ था। ₹24,866 करोड़ की प्रक्षेपित राजस्व के प्रति, वर्ष 2018-19 के दौरान जी.एस.टी. के अधीन रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां ₹19,682.18 करोड़ थी तथा ₹4,182 करोड़ का प्राप्त मुआवजा था जैसाकि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2019 तक मुआवजे की प्राप्ति में कुल मिलाकर ₹1001.82 करोड़ की कमी थी।

तालिका 1.6: जीएसटी तथा प्राप्त मुआवजा

(₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किया गया राजस्व	संग्रहित किए गए जीएसटी पूर्व कर	संग्रहित किए गए एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम अनुमोदन*	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त मुआवजा	कमी/ अधिशेष
अप्रैल 2018	2,074	26.96	1,329.38	743.89	2,100.23		26.23
मई 2018	2,072	35.84	783.91	367.34	1,187.09		-884.91
जुन 2018	2,072	27.68	788.16	414.07	1,229.91	169	-673.09
जुलाई 2018	2,072	0.36	821.03	1,619.44	2,440.83		368.83
अगस्त 2018	2,072	14.51	809.03	418.98	1,242.52		-829.48
सितम्बर 2018	2,072	28.72	773.28	723.91	1,525.91	1,034	487.91
अक्तूबर 2018	2,072	55.81	836.97	529.51	1,422.29		-649.71
नवम्बर 2018	2,072	34.81	844.90	1,188.39	2,068.10	963	959.10
दिसम्बर 2018	2,072	40.79	832.92	738.99	1,612.70	974	514.70
जनवरी 2019	2,072	63.42	925.47	420.62	1,409.51		-662.49
फरवरी 2019	2,072	54.04	875.10	633.64	1,562.78		-509.22
मार्च 2019	2,072	81.28	989.53	809.50	1,880.31	1,042	850.31
कुल	**24,866**	**464.22**	**10,609.68**	**8,608.28**	**19,682.18**	**4,182**	**-1,001.82**

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त वित्त लेखे एवं सूचना

** ₹2,582.20 करोड़ के तदर्थ निपटान सहित # मनोरंजन एवं विलासिता करों इत्यादि के संदर्भ में ₹31.39 करोड़ शामिल हैं*

जी एस टी के संग्रहण के स्वचालन के साथ, नि.म.ले.प. के लेखा प्रमाणीकरण के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए, सभी लेन देन के व्यापक जांच से लेकर नमूना जांच तक से होकर गुजरना लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक है। आंकड़ों तक अपेक्षित पहुँच अभी तक प्रदान किया जाना बाकी है। सभी जीएसटी लेन देन से संबन्धित आंकड़ों तक पहुँच नहीं होने से जीएसटी प्राप्तियों का व्यापक रूप से लेखापरीक्षा नही हो रहा है। इसलिए, वर्ष 2018-19 हेतु लेखों को लेखापरीक्षा नमूना के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसा कि एक बार अपवाद के रूप में रिकॉर्ड मैनुअली रूप से बनाए रखने के दौरान किया गया था।

1.3.1.2 गैर कर राजस्व

2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों में प्रवृत्तियों को **तालिका 1.7** में दिया गया है।

तालिका 1.7: 2014-19 के दौरान गैर-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ब्याज प्राप्तियां	351(-8)	82(-76)	82(0)	396(383)	113(-71)
लाभांश तथा लाभ	13(8)	12(-4)	11(-8)	16(45)	14(-13)
अन्य गैर-कर प्राप्तियां	269(0.5)	421(56)	288(-32)	354(23)	516(46)
क) लोक निर्माण कार्य	15	19	22	14	18
ख) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	58	126	60	89	103
ग) शिक्षा	25	22	24	26	29
कुल	**633(-4)**	**515 (-19)**	**381(-26)**	**766(101)**	**644(-16)**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

2014-19 के दौरान गैर-कर राजस्व में ₹11 करोड़ (1.74 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई थी। 2015-16, 2016-17 तथा 2018-19 के दौरान 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी मुख्यतः स्थानीय निकायों से ऋणों पर ब्याज की कम प्राप्ति के कारण हुई थी। गैर-कर राजस्व (₹644 करोड़) जो 2018-19 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों (₹43,113 करोड़) का 1.49 *प्रतिशत* था, पिछले वर्ष की तुलना में ₹122 करोड़ (15.93 *प्रतिशत*) की कमी हुई।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 के दौरान राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान (स.अ.) के लिए योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया। भारत सरकार से स.अ. के ब्यौरे **तालिका 1.8** में दिए गए हैः

तालिका 1.8: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजनागत अनुदान	328	2,905	1,119	-	-
राज्य/यू.टी. योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	1,467	487	550	-	-
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान	553	866	1,156	-	-
सीएसएस के लिए अनुदान	-	-	-	995	807
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व में कमी के लिए मुआवजा	-	-	-	157	4,182
विधायिका सहित राज्यों/यूटी को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	-	-	-	1,032	855
कुल	**2,348(67)**	**4,258(81)**	**2,825(-34)**	**2,184(-23)**	**5,844(168)**

भा.स. से स. अ. 2017-18 में ₹2,184 करोड़ से 2018-19 में ₹5,844 करोड़ (167.58 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। इसमे जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन राजस्व घाटा जिसमें 2017-18 में ₹157 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹4,182 करोड़ का मुआवजा शामिल हैं।

1.3.3 भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत कार्मिकों द्वारा व्यय किए गए निर्माण की लागत पर उपकर की वसूली करता है। वसूल किए गए उपकर को निर्माण कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर व्यय किया जाता है। दिल्ली भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) ने वर्ष 2018-19 के दौरान ₹351.44 करोड़ (संग्रहित उपकर तथा अर्जित ब्याज सहित) की कुल निधि प्राप्त की तथा कल्याणकारी योजनाओं पर केवल ₹31.06 करोड़ (8.84 *प्रतिशत*) व्यय किया।

31 मार्च 2019 तक भवन तथा अन्य निर्माण कार्मिक कल्याण बोर्ड के पास कुल ₹2,708 करोड़ का संचयित उपकर उपलब्ध था।

कल्याणकारी योजनाओं पर निधियों के कम उपयोग पर मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जारी प्रतिवेदन में भी प्रकाश डाला गया था लेकिन विभाग/बोर्ड द्वारा पंजीकरण के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा का विचार है कि विभाग/बोर्ड को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए इन निधियों की अधिकतम उपयोगिता को सुनिश्चित करना चाहिए तथा उपकर वसूली के निर्दिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु भवन तथा अन्य निर्माणकारी कार्मिकों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को चलाना चाहिए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, भा.स. से ऋण के रूप में प्राप्तियां तथा विविध पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं। पांच वर्षों (2014-19) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों को **तालिका 1.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:-

तालिका 1.9: प्राप्तियों के संघटक तथा वृद्धि में प्रवृतियां

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत प्राप्तियां (पूं.प्रा.)	**1,992**	**2,324**	**1,908**	**2,597**	**4,524**
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	**228**	**83**	**212**	**691**	**1,644**
लोक ऋण प्राप्तियां*	**1,764**	**2,241**	**1,696**	**1,906**	**2,880**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)					
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	-58	27	-24	12	51
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	-72	-63	155	225	138
स.रा.घ.उ. के विषय में	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
पूंजीगत प्राप्तियों के विषय में	-60	17	-18	36	74

* भा.स. से प्राप्त किए गए ऋण तथा अग्रिम।

गैर-ऋण प्राप्ति 2017-18 में ₹691 करोड़ से 138 *प्रतिशत* बढ़कर 2018-19 में ₹1,644 करोड़ तक हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः "बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण" शीर्ष के अंतर्गत ₹1,580 करोड़ के पुनर्भुगतान के कारण हुई थी। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के दौरान 'शहरी विकास को ऋणों' से ₹62 करोड़ की वसूली भी की गई थी।

1.4.1 भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम

भा.स. से कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹757 करोड़ घटकर 2017-18 में ₹33,569 करोड़ से 2018-19 में ₹32,812 करोड़ हो गया। भा.स. से ₹2,880 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी तथा वर्ष के दौरान ₹3,636 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया था **(परिशिष्ट 1.4)**।

1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

1.5.1 व्यय की वृद्धि तथा संघटक

पिछले पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति तथा संघटक को नीचे **चार्ट 1.5, 1.6 तथा 1.7** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.5: कुल व्ययः प्रवृत्तियाँ तथा संघटक

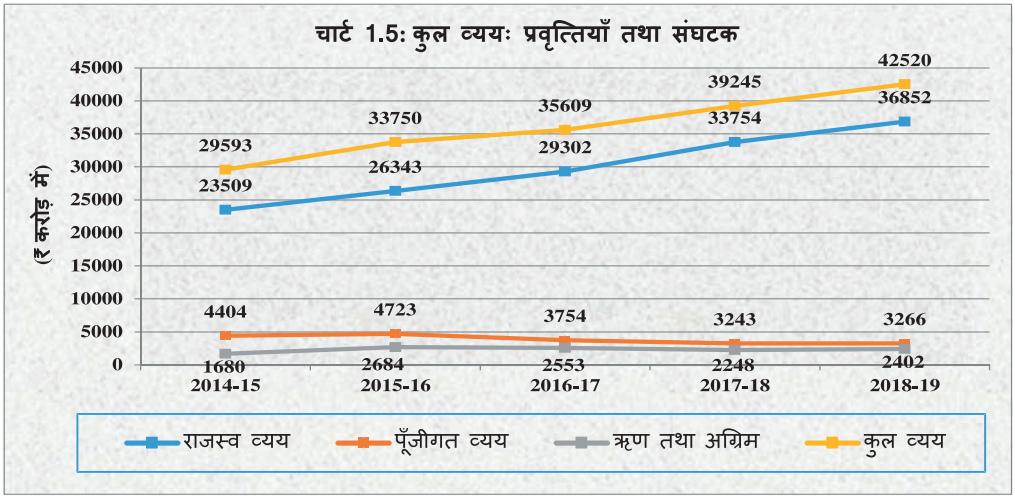

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में कुल व्यय 43.68 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। पिछले पांच वर्षों की अवधि में राजस्व व्यय 2014-15 में ₹23,509 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹36,852 करोड़ हो गया जिसमें 56.76 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई है।

पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय 8.35 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। कुल बढ़ोतरी में, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹3,098 करोड़ (9.18 *प्रतिशत*) तथा ₹23 करोड़ (0.71 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण ₹154 करोड़ (6.85 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय,

कुल व्यय का 86.67 *प्रतिशत* था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 7.68 *प्रतिशत* तथा 5.65 *प्रतिशत* थे।

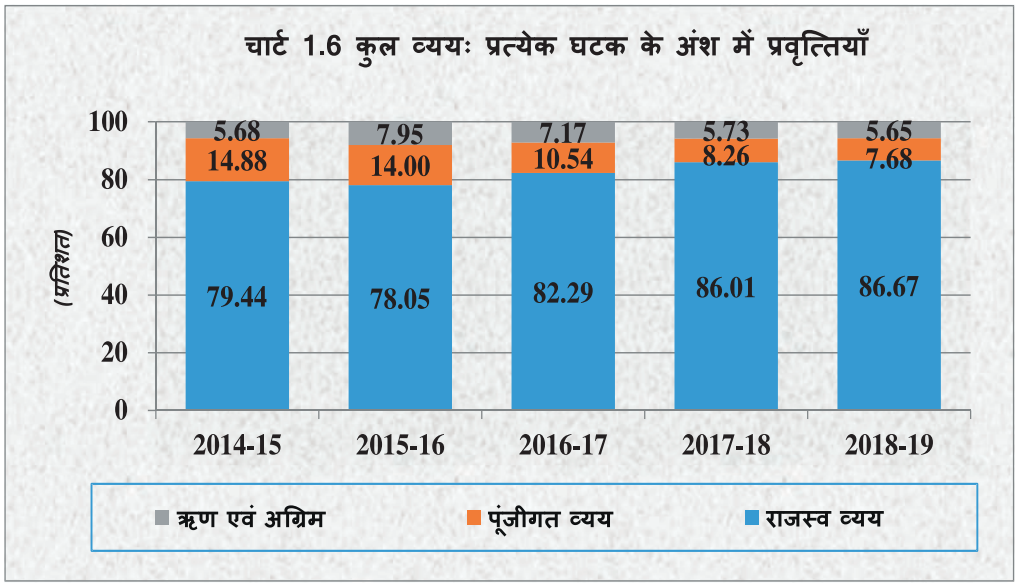

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

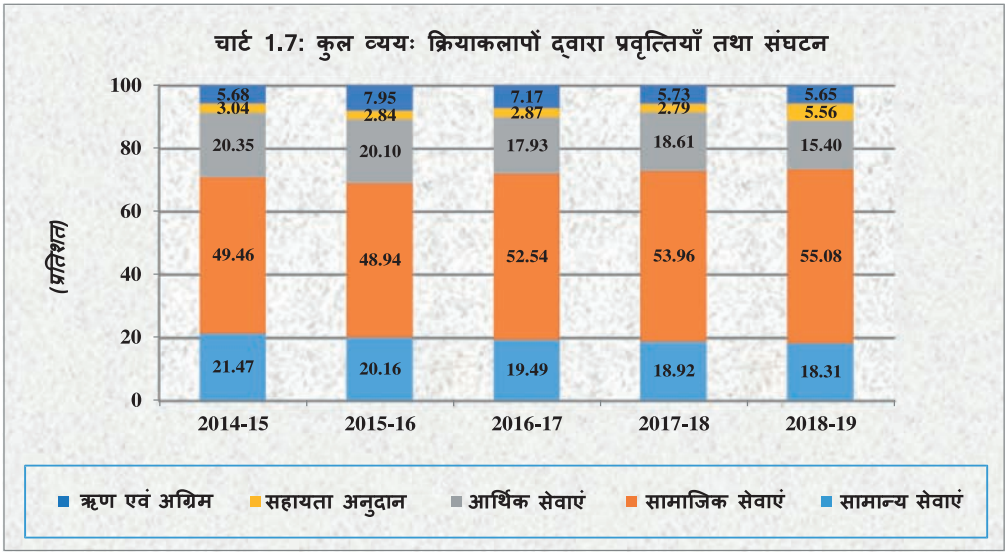

कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 21.47 *प्रतिशत* से घटकर 18.31 *प्रतिशत* तक हो गया। सामाजिक सेवाओं का अंश 49.46 *प्रतिशत* से बढ़कर 55.08 *प्रतिशत* हो गया, जबकि आर्थिक सेवाओं के अंश 2014-19 के दौरान 20.35 *प्रतिशत* से घटकर 15.40 *प्रतिशत* तक हो गए। उसी अवधि के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर कुल व्यय 5.68 *प्रतिशत* से कम होकर 5.65 *प्रतिशत* तक हो गया। 2014-19 के दौरान सहायता अनुदान का अंश 3.04 *प्रतिशत* से 5.56 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के मिश्रित अंश जो विकास व्यय का द्योतक हैं, इस अवधि के दौरान 69.81 *प्रतिशत* से बढ़कर 70.48 *प्रतिशत* हो गए।

1.5.2 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि को **तालिका 1.10** में दिखाया गया है।

तालिक 1.10: राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	23,509	26,343	29,302	33,754	36,852
वृद्धि दर (*प्रतिशत*)	5.11	12.05	11.23	15.19	9.18
स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता	4.75	4.81	4.75	4.92	4.73
ब्याज भुगतान	2,774	2,810	2,883	2,871	2,867
राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	9.38	8.03	8.39	7.42	6.65

2014-19 के दौरान राजस्व व्यय 5.11 *प्रतिशत* से 15.19 *प्रतिशत* तक वार्षिक वृद्धि की दर से ₹13,343 करोड़ (56.76 *प्रतिशत*) तक बढ़ गया। स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व व्यय की प्रतिशतता 2014-19 की अवधि के दौरान 4.75 *प्रतिशत* से घटकर 4.73 *प्रतिशत* हो गई थी।

राजस्व व्यय 9.18 *प्रतिशत* बढ़कर 2017-18 में ₹33,754 करोड़ से 2018-19 में ₹36,852 करोड़ हो गया। सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹409 करोड़ बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं पर भी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में मुख्यतः 'शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति' (₹902 करोड़), 'स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण' (₹801 करोड़) तथा 'सामाजिक कल्याण तथा पोषण' (₹558 करोड़) शीर्षों के अंतर्गत व्यय में वृद्धि होने के कारण ₹2,061 करोड़ तक बढ़ गया था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय मुख्यतः सड़क परिवहन (₹746 करोड़) शीर्ष के अंतर्गत व्यय में कमी होने के कारण ₹643 करोड़ तक घट गया।

1.5.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) 2014-19 की अवधि के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है **(चार्ट 1.5)**। यह 2014-15 में ₹4,404 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹3,243 करोड़ हो गई तथा 2018-19 में ₹3,266 करोड़ हो गई। कुल व्यय के औसत के रूप में, पू.व्य. 2014-15 में 14.88 *प्रतिशत* से घटकर 2018-19 में 7.68 *प्रतिशत* हो गई **(चार्ट 1.6)**।

ब्याज भुगतान

पांच वर्षों (2014-19) की अवधि में ब्याज भुगतान (₹2,867 करोड़) में 3.35 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹ चार करोड़ की कमी हुई। राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 2014-15 में 9.38 *प्रतिशत* से घट कर 2018-19 में 6.65 *प्रतिशत* हो गई।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी भर्ती 1 जनवरी 2004 को या उसके पश्चात हुई है, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के पात्र है। योजना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों को अपने मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 *प्रतिशत* का अंशदान देना होता है और उतनी ही राशि राज्य सरकार के द्वारा जमा कराई जाती है तथा पूरी राशि नेशनल सिक्युरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक) द्वारा निर्दिष्ट निधि प्रबन्धक को हस्तान्तरित कर दी जाती है।

प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2018-19 के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कर्मचारियों के अंशदान के ₹221.73 करोड़ तथा नियोक्ताओं के अंशदान के ₹221.73 करोड़ के प्रति कुल ₹443.46 करोड़ एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक के पास जमा कराये गये थे। इस प्रकार, एन.पी.एस. के अंतर्गत 2018-19 के दौरान कार्मिकों के साथ-साथ नियोक्ताओं के प्रति कुछ बकाया नहीं था।

1.6 व्यय की गुणवत्ता

सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता व्यय की गुणवत्ता का एक सूचक होती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मूल रूप से तीन पहलू जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के पर्याप्त प्रावधान), व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा प्रभाविता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का मूल्यांकन) सम्मिलित हैं।

1.6.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.11 तथा **चार्ट 1.8** वर्ष 2014-15 तथा 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, पूंजीगत व्यय एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाते हैं।

तालिका 1.11: 2014-15 तथा 2018-19 में रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशतता में*)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	औ.व्य./स.रा.घ.उ.	वि.व्य.#/ औ.व्य.	सा.क्षे.व्य./ औ.व्य.	पूंजी/व्य./ औ.व्य.	शिक्षा/औ.व्य.	स्वास्थ्य/ औ.व्य.
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2014-15	5.98	75.00	53.52	13.63	22.15	12.24
रा.रा.क्षे. दिल्ली का (अनुपात) 2018-19	5.45	76.13	59.05	7.26	24.96	12.92

औ.व्य.: औसत व्यय, वि.व्य.: विकास व्यय, सा.क्षे.व्य.: सामाजिक क्षेत्र व्यय, आ.क्षे.व्य.: आर्थिक क्षेत्र व्यय पूंजी व्य पूंजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

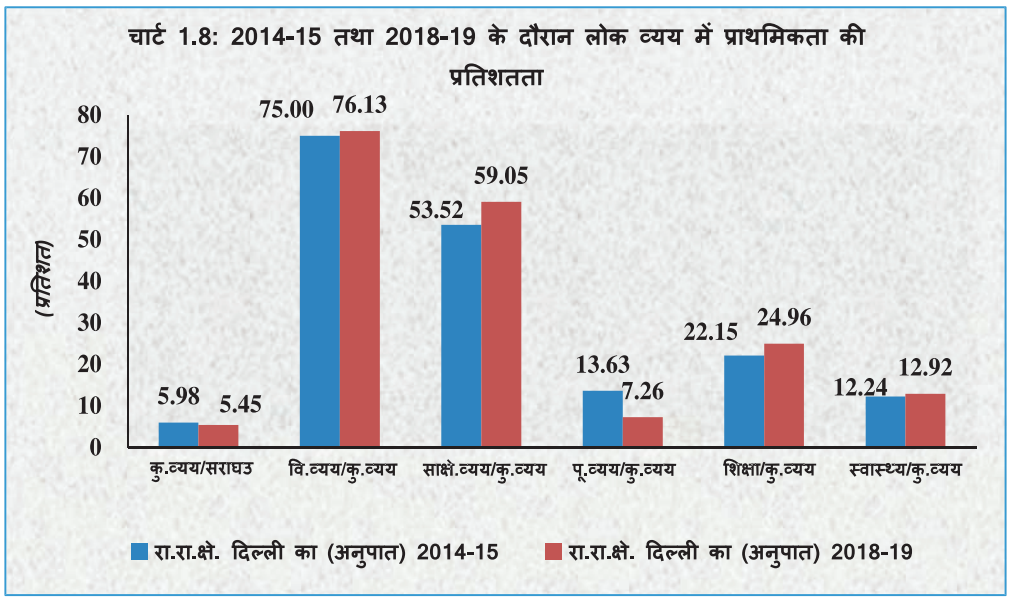

2014-15 में 5.98 *प्रतिशत* से 2018-19 में 5.45 *प्रतिशत* तक स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में औसत व्यय घट गया था। 2014-19 के दौरान विकास व्यय तथा सामरिक क्षेत्र व्यय कुल व्यय के अनुपात के रूप में क्रमशः 75 *प्रतिशत* से 76.13 *प्रतिशत* तथा 53.52 *प्रतिशत* से 59.05 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। इस अवधि के दौरान सकल व्यय में स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर व्यय के अंश में भी वृद्धि दर्ज की है। यद्यपि, इस अवधि में पूंजीगत व्यय का अंश 13.63 *प्रतिशत* से 7.26 *प्रतिशत* तक घट गया।

1.6.2 व्यय के प्रयोग में दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यय के सुव्यवस्थीकरण हेतु उचित उपाय करे तथा लोक हित व उत्पादों की गुणवत्ता के प्रावधानों पर जोर दें। व्यय के प्रयोग में दक्षता, पूंजीगत व्यय एवं कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) के अनुपात द्वारा एवं वर्तमान सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के प्रचालन व रख रखाव के लिए किए गए राजस्व व्यय के समान अनुपात द्वारा दर्शायी जाती है। इन घटकों तथा कुल व्यय (और/अथवा स.रा.घ.उ.) का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अधिक होगी। विकास व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक सेवाओं में ऋण तथा अग्रिम भी शामिल होते हैं। **तालिका 1.12** में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के औसत व्यय के संबंध में विकास व्यय की प्रवृतियों को दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक
क) विकास राजस्व व्यय	16,625 (4.14)	18,957 (14.02)	21,690 (14.42)	25,464 (17.40)	29,235	26,882 (5.57)
ख) विकास पूंजीगत व्यय	4,033 (-9.21)	4,346 (7.76)	3,404 (-21.67)	3,015 (-11.44)	3,905	3,086 (2.35)
ग) विकास ऋण तथा अग्रिम	1,634 (-69.75)	2,093 (28.06)	1,941 (-7.23)	1,888 (-2.76)	2,301	2,401 (27.17)
कुल	**22,292 (-13.62)**	**25,395 (13.92)**	**27,036 (6.46)**	**30,367 (12.32)**	**35,441**	**32,369 (6.59)**

पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हुई प्रतिशतता को लघु कोष्ठकों में दर्शाया गया है

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान विकास व्यय 45.20 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। यह व्यय, जो कुल व्यय (₹42,520 करोड़) का 76.13 *प्रतिशत* था, 2017-18 में ₹30,367 करोड़ से ₹2,002 करोड़ (6.59 *प्रतिशत*) बढ़कर 2018-19 में ₹32,369 करोड़ तक हो गया। विकास राजस्व व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः विकास व्यय के 83 तथा 7 *प्रतिशत* तक हो गए थे जबकि पूंजीगत व्यय का अंश केवल 10 *प्रतिशत* था।

1.7 सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खंड पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय की गतिविधियों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.7.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2019 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹19,261 करोड़ का निवेश किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में निवेश पर वृद्धि ₹88 करोड़ थी। 2018-19 में निवेश पर प्रतिफल (आर.ओ.आई.) 0.07 *प्रतिशत* था, जबकि सरकार ने 2018-19 के दौरान अपने ऋणों पर 8.64 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था। विस्तृत विवरण **तालिका 1.13** में दिया गया है।

तालिका 1.13: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष की समाप्ति पर निवेश*	17,660	18,492	18,933	19,173	19,261
निवेश पर प्रतिफल**	12.9	12.32	11.28	15.91	14.31
निवेश पर प्रतिफल (*प्रतिशत*)	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07
सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत*)	8.59	8.54	8.65	8.58	8.64
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	8.52	8.47	8.59	8.50	8.57
निवेश पर सरकारी ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर #	1,505	1,566	1,626	1,630	1,651

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*प्रदत्त साधारण पूंजी से संबंधित **सरकार द्वारा प्राप्त की गई लांभाश आय

(वर्ष के अंत तक निवेश *भुगतान की गई ब्याज दर तथा निवेशों पर प्रतिफल के बीच अंतर)/100

सरकारी निवेश 2014-15 से 2018-19 तक पांच वर्षों में 9.07 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। सरकार ने 2014-19 के दौरान अपने ऋणों पर 8.54 *प्रतिशत* से 8.65 *प्रतिशत* की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया था जबकि उसी अवधि के दौरान निवेशों पर प्रतिफल की प्रतिशतता 0.06 तथा 0.08 (ऐतिहासिक लागत पर) के बीच की श्रेणी की थी। पिछले पांच वर्षों की अवधि में, सा.क्षे.उ. में निवेशों पर सरकारी ऋण तथा प्रतिफल में ₹7,978 करोड़ का अंतर था।

सात[2] सरकारी कंपनियों को उनके द्वारा भेजे गए लेखों के अनुसार ₹6,929.93 करोड़ के निवेश से ₹31,724 करोड़ कि संचित हानि हुई। हानि उठाने वालों में दो पावर कंपनियाँ (दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड ₹1,360 करोड़ तथा दिल्ली ट्रांसकों लिमिटेड -₹1,206 करोड़) तथा दिल्ली परिवहन निगम (₹29,143 करोड़) थे, जो कुल मिलाकर संचित हानि का 99.95 *प्रतिशत* था। 2018-19 दौरान, इन कंपनियों में सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करना चाहिए जो बड़े घाटे में चल रहे हैं, ताकि उनके पुनर्चलन या समापन जैसी भी जरूरत हो, के अनुसार एक रणनीतिक योजना बनायी जा सके।

1.7.2 सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार संस्थानों/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2019 तक कुल बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹64,570 करोड़ थे, जैसा कि **तालिका 1.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त किए गए औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्रारंभिक शेष	55,737	57,190	59,915*	62,255	63,812
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	1,680	2,684	2,553	2,248	2,402
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	228	83	213	691	1,644
अंतिम शेष	57,189	59,791	62,255	63,812	64,570
सकल योग	1,452	2,601	2,340	1,557	758
ब्याज प्राप्तियां	351	83	81	396	113
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.61	0.14	0.13	0.62	0.18
बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता के रूप में रा.रा.क्षे.दि.स. का ब्याज भुगतान	8.54	8.44	8.64	8.55	8.74
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (*प्रतिशत*)	7.93	8.30	8.51	7.93	8.56

*गलत वर्गीकरण किए जाने के कारण ₹124.58 करोड़ के अवधि पूर्व समायोजन को सम्मलित करते हुए राशि

[2] दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली ट्रासंको लिमिटेड, डी.एस.आई.आई.डी.सी क्रियेटिव आटर्स डेवेलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, डी.एस.आई.आई.डी.सी लीकर लिमिटेड, डी.एस.आई.आई.डी.सी मेन्टेनेंस सर्विसेस लिमिटेड तथा एन.डी.एम.सी. स्मार्ट सिटी लिमिटेड

2017-18 में ₹2,248 करोड़ के मुकाबले 2018-19 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹2,402 करोड़ का ऋण दिया जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ₹154 करोड़ अधिक है। वर्ष के दौरान कुल ऋण अग्रिमों में से दिल्ली जल बोर्ड तथा प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्रमशः ₹1,391 करोड़ तथा ₹350 करोड़ प्राप्त किया। 2018-19 की अवधि में ₹1,644 करोड़ की राशि के ऋण एवं अग्रिमों की वसूली की गई। पिछले वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों की वसूली यद्यपि बकाया ऋणों का केवल एक अंश (2.55 *प्रतिशत*) थी। 31 मार्च 2019 तक ₹64,570 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (₹19,702 करोड़), विविध ऋण (₹16,274 करोड़), सड़क परिवहन (₹15,596 करोड़), विद्युत परियोजनाएं (₹10,376 करोड़) एवं शहरी विकास (₹1,759 करोड़) जैसे महत्वपूर्ण शीर्ष थे जहाँ ऋण बकाया थे उन्हें **परिशिष्ट 1.5** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली परिवहन निगम एवं दिल्ली नगर निगम के प्रति बड़ी मात्रा में ऋण बकाया था। विवरण निम्नानुसार हैः

<u>दिल्ली जल बोर्ड</u>

दिल्ली जल बोर्ड का गठन अप्रैल, 1998 में हुआ था। 1998-99 से दिल्ली जल बोर्ड को कुल ₹28,011 करोड़ का ऋण वितरित किया गया था, जिसमें से 31 मार्च 2019 तक केवल ₹351 करोड़ वापस किये गये थे और ₹27,660 करोड़ बकाया था। गत पाँच वर्षों में कोई भी राशि वापस नहीं की गई। सरकार ने कहा (जून 2020) कि बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेंसियों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है।

<u>दिल्ली परिवहन निगम</u>

1996-1997 से 2010-11 तक दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने ₹11,838 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की। इसमें से ₹162 करोड़ वापस किया जा चुका है। 2010-11 से डीटीसी को किसी ऋण का संवितरण नहीं किया गया है और यह 2011-12 से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है। 31 मार्च 2019 तक दिल्ली परिवहन निगम के प्रति ₹11,676 करोड़ की ऋण राशि बकाया है। 31 मार्च 2019 तक ऋणों पर ब्याज की बकाया राशि ₹26,070 करोड़ थी।

<u>दिल्ली नगर निगम</u>

दिल्ली नगर निगमों (एमसीडी) को विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर ऋण प्रदान किये जाते हैं तथा इनका समायोजन उन्हे देय

मूल कर निर्धारण से किया जाता है। 31 मार्च 2012 तक पहले के दिल्ली नगर निगम पर ₹2,060 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। एमसीडी के तीन भागों में बंटने के उपरांत इन ऋणों को दक्षिण दिल्ली नगर निगम (₹936 करोड़), उत्तरी दिल्ली नगर निगम (₹730 करोड़) एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम (₹394 करोड़) के बीच उनके देयता अनुपात के आधार पर बाँट दिया गया था।

उत्तरी दि.न.नि.

2012-19 की अवधि में उत्तरी दि.न.नि. (डी.एम.सी.) द्वारा ₹1,681 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2014-15 की अवधि में ₹373 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली टाल दी गई है। 31 मार्च 2019 तक ₹2,038 करोड़ की ऋण राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

पूर्वी दि.न.नि.

2012-19 की अवधि में पूर्वी दि.न.नि. द्वारा ₹1,134 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गई थी। 2012-13 से 2013-14 की अवधि में ₹132 करोड़ की वसूली की गई है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण 2015-16 से 2017-18 की अवधि की ऋण वसूली टाल दी गई है। 31 मार्च 2019 तक ₹1,396 करोड़ की ऋण राशि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रति बकाया थी।

दक्षिणी दि.न.नि.

2012-19 की अवधि में दक्षिणी दि.न.नि. द्वारा ₹158 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की गयी थी। 31 मार्च 2019 तक ₹319 करोड़ की राशि बकाया छोड़कर 2012-13 से ₹776 करोड़ की वसूली हुई है।

सरकार ने कहा (जून 2020) कि बकाया ऋणों के कारण ब्याज देयता, संबंधित एजेसिंयों तथा शहरी विकास विभाग के द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ मिलान किया जा रहा है।

चूंकि ऋणों की वसूली कम रही है, इसलिए रा.रा.क्षे.दि.स. इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में मानने पर विचार कर सकती है तथा लेखे की सटीक स्थिति दर्शाने हेतु यह सुनिश्चित करे की उन्हे राजस्व व्यय के रूप में बुक कर रही है।

1.8 परिसम्पतियाँ व देयताएँ

1.8.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अंचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि,

सरकारी लेखों में सरकार की वित्तिय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.6 (भाग क एवं ख)** 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों के सार का 31 मार्च 2018 की संबंधित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी परिव्यय व ऋण एवं अग्रिम तथा प्रारंभिक शेष आते है। देयताओं में केवल भा.स. द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम सम्मलित हैं।

1.8.2 राजकोषीय देयताएँ

तालिका 1.15 रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं, उनकी वृद्धि दर, स.रा.घ.उ. से इन देयताओं, राजस्व प्राप्तियों से तथा अपने संसाधनों से अनुपात एवं इन पैरामीटरों के संदर्भ में राजकोषीय उत्तरदायित्व की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में भा.स. की लघु बचत संग्रह का बड़ा हिस्सा शामिल है।

तालिका 1.15: राजकोषीय देयताएँ-मूल पैरामीटर

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	1.30	2.48	0.12	0.67	-2.25
राजकोषीय देयताओं का अनुपातः					
स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	6.57	6.05	5.42	4.86	4.21
राजस्व प्राप्तियों (*प्रतिशत*)	109.85	95.16	97.09	86.81	76.11
अपने संसाधन# (*प्रतिशत*)	119.32	108.34	105.79	92.01	88.04
राजकोषीय देयताओं की उत्प्लावकता के संदर्भ में:					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.11	0.22	0.01	0.06	-0.17
राजस्व प्राप्तियों (अनुपात)	0.23	0.14	-0.07	0.05	-0.20
अपने संसाधन (अनुपात)	0.53	0.19	0.05	0.04	-1.05

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे
कर + गैर-कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2014-15 में ₹32,498 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹32,812 करोड़ (0.97 *प्रतिशत*) हो गई। 31 मार्च 2019 को ₹32,812 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में मुख्यत: ₹29,406 करोड़ की 'लघु बचत के संग्रह का अंश' एवं ₹3,326 करोड़ की 'संसाधन में अंतर की पूर्ति हेतु ऋण' शामिल थे।

वर्ष 2013-14 में भा.स. द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली को ₹3,326 करोड़ की राशि 9.5 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज की दर पर चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[3] और पूर्ववर्ती डीईएसयू (दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम), रेल मंत्रालय के बकाया राशि के निपटान के लिए दी गई थी। हालांकि, 31 मार्च 2019 तक रा.रा.क्षे.

[3] एनटीपीसी लि., एनएचपीसी लि., भारतीय पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं परमाणु ऊर्जा निगम

दिल्ली ने न तो ऋण की मूल राशि की कोई किस्त दी है और न ही ब्याज का भुगतान किया है।

वर्ष 2018-19 के अंत में राजकोषीय देयताएँ जीएसडीपी के 0.04 गुणा, राजस्व प्राप्तियों के 0.76 गुणा और रा.रा.क्षे. दिल्ली के अपने संसाधनों की 0.88 गुणा हो गई थी।

1.9 ऋण प्रबंधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई आंतरिक ऋण नही है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियां शामिल हैं।

(i) ऋण रूपरेखा तालिका 1.16 पिछले पाँच वर्षों के रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण रूप रेखा की समय ऋंखला के विश्लेषण को बताती है।

तालिका 1.16: भा.स. से ऋण की रूपरेखा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का प्रति व्यक्ति ऋण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की भी तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता
2014-15	32,080	1,764	1,347	32,498	418	1.30
2015-16	32,498	2,241	1,435	33,304	806	2.48
2016-17	33,304	1,696	1,655	33,345	41	0.12
2017-18	33,345	1,906	1,682	33,569	224	0.67
2018-19	33,569	2,880	3,636	32,812	-757	-2.25

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार के ऋण 2014-15 में ₹32,498 करोड़ से ₹314 करोड़ (0.97 *प्रतिशत*) बढ़कर 2018-19 में ₹32,812 करोड़ हो गया।

(ii) ऋण धारणीयता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता को निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। ऋण धारणीयता भविष्य में राज्य के ऋण सेवा सामर्थ्य को बताती है। यह खंड रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वृद्धि की दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान तथा राजस्व प्राप्ति के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान तथा ऋण प्राप्ति एवं राज्य को उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में ऋण की धारणीयता को आकलित करता है। 2014-15 से 2018-19 की पाँच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार **तालिका 1.17** राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.17: ऋण धारणीयताः संकेतक व प्रवृतियाँ

ऋण धारणीयता के संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बकाया सार्वजनिक ऋण (₹ करोड़ में)	32,498	33,304	33,345	33,569	32,812
बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि की दर (*प्रतिशत* में)	1.30	2.48	0.12	0.67	-2.25
स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	4,94,803	5,50,804	6,15,605	6,90,098	7,79,652
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत* में)	11.45	11.32	11.76	12.10	12.98
सार्वजनिक ऋण/जीएसडीपी (*प्रतिशत* में)	6.57	6.05	5.42	4.86	4.21
ब्याज का भुगतान (₹ करोड़ में)	2,774	2,810	2,883	2,871	2,867
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर [चुकाया गया ब्याज/(सार्वजनिक ऋण का अ.शे. + सार्वजनिक ऋण का अं.शे.)/2] (*प्रतिशत* में)	8.59	8.54	8.65	8.58	8.64
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	29,585	34,999	34,346	38,667	43,113
राजस्व प्राप्ति से ब्याज की प्रतिशतता	9.38	8.03	8.39	7.42	6.65
ऋण भुगतान (₹ करोड़ में)	1,347	1,435	1,655	1,682	3,636
ऋण प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	1,764	2,241	1,696	1,906	2,880
ऋण प्राप्तियों से ऋण भुगतान का *प्रतिशत*	76.33	64.04	97.59	88.25	126.25
रा.रा.क्षे. दिल्ली[#] का शुद्ध उपलब्ध ऋण (₹ करोड़ में)	(-) 2,357	(-) 2,005	(-) 2,842	(-) 2,647	(-) 3,623

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

#रा.रा.क्षे.दि.स. को उपलब्ध निवल ऋण का अर्थ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान से होने वाली अधिकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण 2014-15 में ₹32,498 करोड़ से 2018-19 में ₹32,812 करोड़ हो गया तथा 2014-19 की अवधि में 0.97 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई। सार्वजिक ऋण में पिछले वर्ष से 2018-19 में 2.25 *प्रतिशत* की कमी हुई थी। बकाया सार्वजनिक ऋण की वृद्धि दर 2015-16 में 2.48 *प्रतिशत* से 2017-18 में 0.67 *प्रतिशत* तक घट गयी तथा 2018-19 में ऋणात्मक थी। 2018-19 में सार्वजनिक ऋण (₹3,636 करोड़) का पुनर्भुगतान सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹2,880 करोड़) से अधिक था।

2014-19 की अवधि के दौरान पूर्व में दिए गए उधारों के पुर्नभुगतान के लिए उधार दी गई राशि की उपयोगिता तथा पूँजीगत व्यय के ब्यौरे **तालिका 1.18** में दिये गये हैः

तालिका 1.18: उधार दी गई निधि का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व की उधारियों का पुर्नभुगतान (मुख्य) (*प्रतिशत*)	पूंजीगत व्यय के लिए उधार लिया गया उपलब्ध धन (*प्रतिशत*)
1	2	3	4=(2-3)
2014-15	1,764	1,347(76)	417(24)
2015-16	2,241	1,435(64)	806(36)
2016-17	1,696	1,655(98)	41(2)
2017-18	1,906	1,682(88)	224(12)
2018-19	2,880	3,636(126)	-

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2014-19 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई अंश राजस्व व्यय के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा था जबकि 2014-19 की पूर्ण अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास राजस्व अधिशेष था। उधार ली गई निधियों का प्रयोग केवल पूंजीगत व्यय एवं ऋण के चुकाने हेतु किया जा रहा था। 2018-19 के

दौरान पुनर्भुगतान उधार ली गयी राशि से अधिक था। ऋण को राजस्व अधिशेष के प्रयोग से चुकाया गया था।

2014-19 के दौरान स.रा.घ.उ. की वार्षिक वृद्धि सार्वजनिक ऋण की वार्षिक दर की अपेक्षा अधिक थी जैसा कि **चार्ट 1.9** में दर्शाया गया है।

ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में 2014-15 में 9.38 *प्रतिशत* से 2018-19 में 6.65 *प्रतिशत* तक घट गया **(चार्ट 1.10)** जो दर्शाता है कि लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान घटता जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप विकास के लिए और अधिक निधियों की उपलब्धता थी।

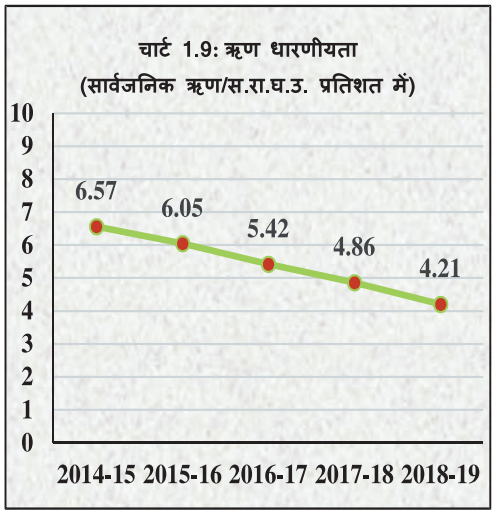

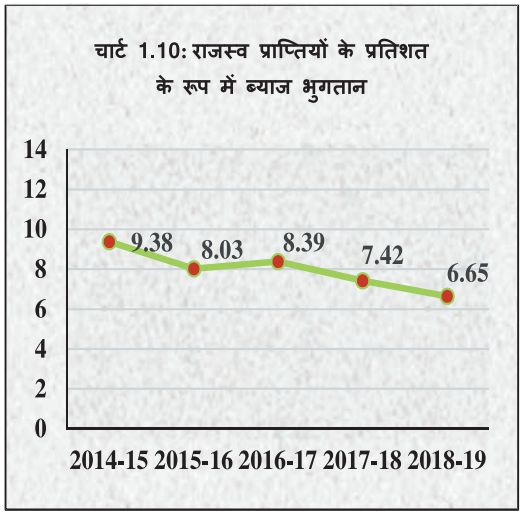

1.10 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय पैरा-मीटरों राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटा निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों को चुकाया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किये जाते हैं, उसे राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में समझे जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृत्तियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.10.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 एवं **चार्ट 1.12** 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान घाटे/अधिशेष संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

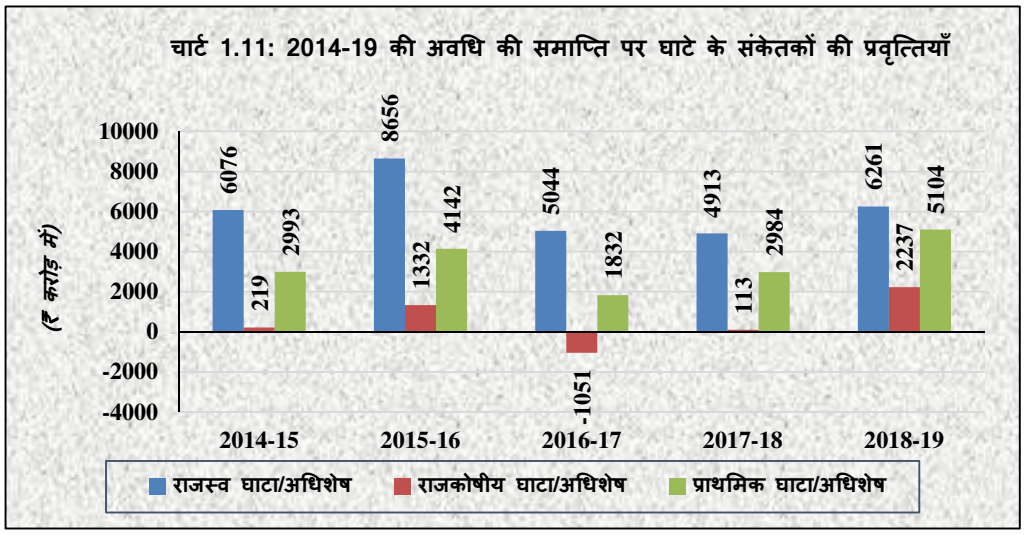

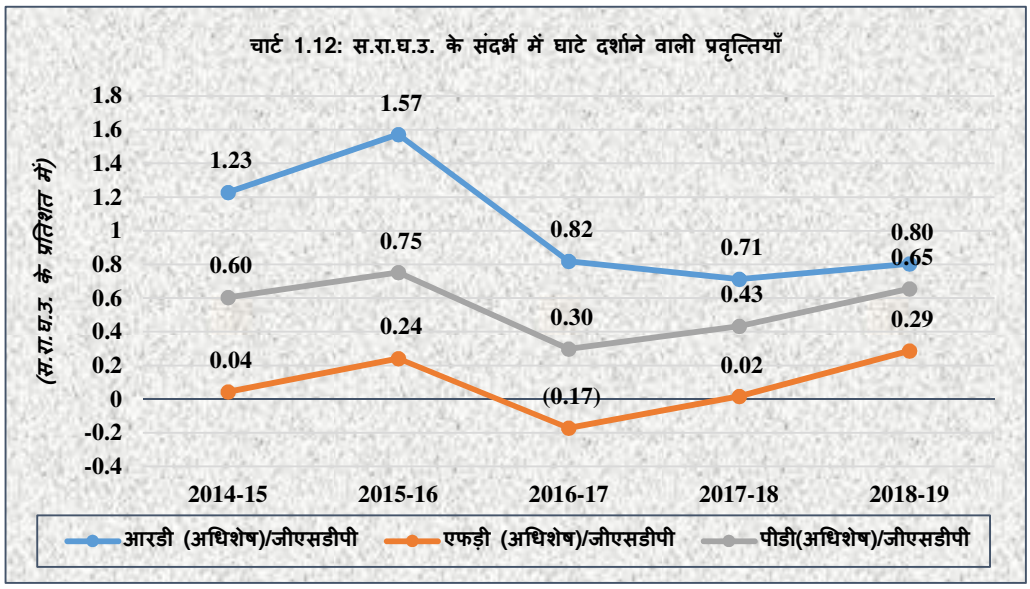

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2018-19 में ₹6,261 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियां है। 2014-19 के दौरान रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में लगातार राजस्व अधिशेष रहा है। यह राजस्व अधिशेष 2014-15 में ₹6,076 करोड़, 2015-16 में ₹8,656 करोड़, 2017-18 में ₹4,913 करोड़ तथा 2018-19 में ₹6,261 करोड़ था।

2014-15 में राजकोषीय अधिशेष ₹219 करोड़ था जो कि 2016-17 के दौरान ₹1,051 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया तथा 2017-18 में ₹113 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 के दौरान राजकोषीय अधिशेष ₹2,237 करोड़ था।

2014-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास प्राथमिक अधिशेष था जो 2017-18 ₹2,984 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹5,104 करोड़ हो गया।

2017-18 में स.रा.घ.उ. के 0.71 *प्रतिशत* के प्रति 2018-19 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.80 *प्रतिशत* हो गया। 2017-18 में स.रा.घ.उ. के 0.02 *प्रतिशत* के प्रति 2018-19 में राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.29 *प्रतिशत* हो गया। गैर-ऋण प्राप्तियां, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि के कारण प्राथमिक अधिशेष 2017-18 में 0.43 *प्रतिशत* के प्रति 2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.65 *प्रतिशत* हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भा.स. वहन करता है। 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दि.स. के कर्मचारियों की ₹1,137.21 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹7,136.48 करोड़ के राजस्व व्यय का वहन भा.स. द्वारा किया गया था।

1.10.2 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे एवं निवल पूँजीगत व्यय (ऋण व अग्रिम सहित) का योगदान राजकोषीय घाटे के प्रति राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश उस सीमा को इंगित करता है जहाँ उधारी निधियों का प्रयोग वर्तमान खपत हेतु किये जाते थे। इसके अलावा राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे का सतत उच्च अनुपात भी संकेत करता है कि राज्य का परिसंपत्ति आधार लगातार छोटा होता जा रहा है और उधार ली गई देयताओं (राजकोषीय देयताओं) के लिए परिसंपत्ति का आधार नही था। प्राथमिक घाटे/अधिशेष का विस्तृत विवरण **तालिका 1.19** में दिया गया है।

तालिका 1.19: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	राजस्व प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय[4]	पूंजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-) / आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7(4+5+6)	8(3-4)	9(2-7)
2014-15	29,812	29,585	20,735	4,404	1,680	26,819	8.850	2,993
2015-16	35,082	34,999	23,533	4,723	2,684	30,940	11,466	4,142
2016-17	34,558	34,346	26,419	3,754	2,553	32,726	7,927	1,832
2017-18	39,358	38,667	30,883	3,243	2,248	36,374	7,784	2,984
2018-19	44,757	43,113	33,985	3,266	2,402	39,653	9,128	5,104

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- रा.रा.क्षे. दिल्ली की गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ मुख्य रूप से सम्मलित थी जो 2014-15 से 2018-19 के दौरान 50.13 *प्रतिशत* तक बढ़ गई थी तथा प्राथमिक राजस्व व्यय को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी।

[4] प्राथमिक राजस्व व्यय = कुल राजस्व व्यय - ब्याज भुगतान

- 2014-15 में ₹8,850 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष 2018-19 में 3.14 *प्रतिशत* बढ़कर ₹9,128 करोड़ हो गया। 2018-19 में प्राथमिक राजस्व अधिशेष में गत वर्ष से ₹1,344 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
- प्राथमिक व्यय के *प्रतिशत* के रूप में पूँजीगत व्यय 2014-15 में 16.42 *प्रतिशत* से घटकर 2018-19 के दौरान 8.24 *प्रतिशत* हो गया है।
- 2014-15 से 2018-19 की अवधि में रा.रा.क्षे.दि.स. को प्रत्येक वर्ष प्राथमिक अधिशेष हुआ था।

कुछ सकारात्मक एवं उन्हें करीब से ध्यान देने योग्य संकेतकों का चित्रण नीचे दिया गया हैः

तालिका 1.20: मुख्य पैरामीटर

सकारात्मक संकेतक	विशेष ध्यान दिए जाने योग्य पैरामीटर
भारत सरकार से सहायता अनुदान में 168 *प्रतिशत* की वृद्धि	राजस्व व्यय में 9.18 *प्रतिशत* की वृद्धि
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियों में 138 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां में 51.10 *प्रतिशत* की वृद्धि
विकास व्यय में 7 *प्रतिशत* की वृद्धि	

1.11 राज्य वित्त के पिछले प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

दिल्ली में 2009-10 से लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गई है, यद्यपि प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त, पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य वित्त प्रतिवेदन पर स्वयं संज्ञान लेकर एटीएन नहीं भेजा गया। इसलिए प्रतिवेदनों को राज्य विधान मंडल में रखने के उपरान्त सरकार द्वारा उठाये गये सुधारात्मक उपायों के बारे में लेखापरीक्षा में पता नहीं चल पाया है।

1.12 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजस्व प्राप्तियां चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष से 11.50 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। कर राजस्व पिछले वर्ष से 2.54 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा गैर-कर राजस्व 15.93 *प्रतिशत* घट गया।

भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान ₹2,184 करोड़ (2017-18) से बढ़ाकर ₹5,844 करोड़ (2018-19) कर दिया गया।

2018-19 के दौरान कुल व्यय पिछले वर्ष से 8.35 *प्रतिशत* तक बढ़ गया था। राजस्व व्यय 2018-19 के दौरान कुल व्यय का 86.67 *प्रतिशत* था जबकि पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम क्रमशः 7.68 *प्रतिशत* तथा 5.65 *प्रतिशत* था।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का संयुक्त हिस्सा, जो विकास व्यय को दर्शाता है पिछले वर्ष की तुलना में 72.57 *प्रतिशत* से घटकर 2018-19 में 70.48 *प्रतिशत* हो गया।

31 मार्च 2019 तक रा.रा.क्षे.दि.स. ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त स्टॉक कंपनियों तथा सहकारी समितियों में ₹19,261 करोड़ निवेश किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल लगभग नगण्य (0.07 *प्रतिशत*) था। जबकि 2018-19 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.64 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

1998-2019 की अवधि में दिल्ली जल बोर्ड को वितरित की गई ऋण राशि ₹28,011 करोड़ के प्रति 31 मार्च 2019 तक ₹27,660 करोड़ का बकाया रहते हुए केवल ₹351 करोड़ वापस किया गया था। बकाये ऋण के कारण ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय एवं संबंधित एजेंसियों के मध्य मिलान हेतु लंबित है।

1996-2011 की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम को ₹11,838 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई थी जबकि 31 मार्च 2019 तक ₹11,676 करोड़ की ऋण राशि बकाया छोड़कर ₹162 करोड़ वापस किया गया है। 31 मार्च 2019 तक इन ऋणों पर ₹26,070 करोड़ की ब्याज देयता बकाया थी।

31 मार्च 2019 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं दक्षिण दिल्ली नगर निगम के प्रति क्रमशः ₹2,038 करोड़, ₹1,396 करोड़ तथा ₹319 करोड़ की ऋण राशि बकाया थी। बकाया ऋण पर ब्याज देयता प्रधान लेखा कार्यालय तथा कार्यकारी एंजेसियों के मध्य मिलान हेतु लंबित है।

2018-19 में पिछले वर्ष से राजस्व अधिशेष में 27.44 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई एवं यह 2018-19 में स.रा.घ.उ. का 0.80 *प्रतिशत* था।

2017-18 में ₹113 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष 2018-19 में बढ़कर ₹2,237 करोड़ हो गया। राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.29 *प्रतिशत* था।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पिछले पाँच वर्षों 2014-15 से 2018-19 तक प्राथमिक अधिशेष को बनाए रखा गया। प्राथमिक अधिशेष में पिछले वर्ष से 71.05 *प्रतिशत* की बढ़ोत्तरी हुई एवं 2018-19 में यह स.रा.घ.उ. का 0.65 *प्रतिशत* था।